

डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी घोषित

अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया

वॉशिंगटन डीसी, 20 फरवरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर टैरिफ (आयात शुल्क) गैरकानूनी हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईपीए) का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के रूप में असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति को गहरा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने कई देशों पर आपातकाल के नाम पर भारी टैरिफ थोपे थे।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति असीमित और एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए साफ तौर पर संसदीय अनुमति

जरूरी है। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की विदेश नीति और आर्थिक एजेंडे पर सीधा वार है।

गौरतलब है कि पिछले साल इसी कंजरवेटिव झुकाव वाली अदालत ने इमिग्रेशन, एजेंसी हैड्स की बर्खास्तगी और सरकारी खर्च में कटौती जैसे मामलों में ट्रंप का साथ दिया था। ऐसे में यह फैसला और भी अहम माना जा रहा है।

ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कंपनियों और देशों के निवेश दावों को जोड़ दिया जाए तो बोझ खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। डॉनल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ

लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते साल अगस्त में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप के कदम को गैरकानूनी करार दे दिया था, लेकिन अदालत ने टैरिफ को लागू रहने

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा भारी झटका दिया और कहा कि ट्रंप को इन्टरनैशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि यह कानून आपात स्थिति के लिए है, न कि टैरिफ लगाने के लिए।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति एकतरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा करते हैं, पर, इसके लिए संसदीय अनुमति की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि उन्होंने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं।

ट्रंप ने इस मसले पर जनवरी में कहा भी था, अगर कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।

हालांकि कोर्ट के आदेश से सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर अलग कानूनों के तहत टैरिफ लगाए गए थे, जो अभी कायम रहेंगे, लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ, दंडात्मक टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने ट्रंप के वकीलों की दलील को नहीं माना और टैरिफ रद्द करने का फैसला सुनाया। यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे का पहला बड़ा मुद्दा है, जो सीधे सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी

इस फैसले से भारत पर तुरंत क्या असर होगा

जयपुर, (का.सं.), 20 फरवरी। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द करने के फैसले का मतलब है कि भारत से अमेरिका को होने वाले 55 प्रतिशत निर्यात पर 18 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ नहीं लगेगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार,

अमेरिका की सर्वोच्च अदालत के फैसले से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जीटीआरआई के विश्लेषण के अनुसार, "पारस्परिक टैरिफ को हटाने से अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 55 प्रतिशत निर्यात 18 प्रतिशत शुल्क से मुक्त हो जाएंगे, और उन पर केवल मानक

एमएफएन टैरिफ ही लागू होंगे।" थिंक टैंक के अनुसार, कुछ पेचिदगियां मौजूद हैं। इस वजह से इस्पात और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और कुछ ऑटो घटकों पर 25 प्रतिशत रहेगी। निर्यात मूल्य के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से वाले उत्पाद, जिनमें स्मार्टफोन, पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयां आदि अमेरिकी टैरिफ से मुक्त रहेंगे।

टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वे अभी भी लागू रहेंगे। हालांकि, दो बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रैसिप्रोकल टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने

अलग-अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 34 प्रतिशत और बाकी दुनिया के लिए 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी 25 प्रतिशत टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने कनाडा, चीन और

मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया था। ट्रम्प प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेटनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोर्ट के फैसले ने इस 25 प्रतिशत टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है।

‘मेरे नाम से ही आए दिन नई साइट बन जाती हैं, मेरे फोटो अपलोड हो जाते हैं

जयपुर आए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा

जयपुर, 20 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके नाम से आए दिन नई साइट बन जाती हैं और उसमें मेरे फोटो अपलोड हो जाते हैं। इसी तरह की साइट से मेरी बेटी और बहन को मैसेज भेजे गए, लेकिन वो उनकी भाषा समझ गई। जब मैंने इसकी शिकायत साइबर पुलिस में की तो पता चला कि ये सभी साइट्स नाइजीरिया में बन रही हैं। सीजेआई ने यह विचार शुक्रवार को आरआईसी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि पहले सोचो, फिर बोलो, पहले विचार करो, फिर काम करो। डिजिटल अपराध

जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया और कहा, साइबर फ्राँड से 50,000 करोड़ रुपए तक ठगे गए हैं और करीब 66 लाख शिकायतें लंबित चल रही हैं।

से बचने के लिए हमें इसी को अमल में लाना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध इस चिंताजनक हालत तक बढ़ गया है कि साइबर फ्राड से पचास हजार करोड़ रुपए ठगे गए हैं और करीब 66 लाख शिकायतें लंबित चल रही हैं। सीजेआई ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए आपसी समन्वय से काम करना होगा। “हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल तरीके से फ्राँड कर अदालती दस्तावेज तक बन रहे हैं। ऐसे में जल्द ही कि सभी मिलजुलकर इससे लड़ने के लिए खड़े हों।”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि तकनीक दोधारी तलवार बन चुकी है। एक तरफ डिजिटल तकनीक का अपना फायदा है तो दूसरी तरफ हमें सचेत रहना भी जरूरी है।

साइबर सुरक्षा आज के समय की मांग है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में साइबर स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आज से दस साल पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान के विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 फरवरी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व

विनोद जाखड़ को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का करीबी माना जाता है।

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी विनोद जाखड़ को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यह पहला अवसर है, जब राजस्थान के किसी नेता को इस पद पर नियुक्त किया गया है।

एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, पार्टी निर्वर्तमान अध्यक्ष वरुण चौधरी, जो बिहार से हैं, के योगदान को सराहना करती है।

हिंदुओं के तीन बच्चे होने मुद्दे पर शंकराचार्य ने भागवत का विरोध किया

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, समाज की प्रगति ज्यादा संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति व धार्मिक मूल्यों के आधार पर होती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 फरवरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदू दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने के आह्वाण को बकवास बताते हुए कहा कि समाज केवल संख्या के आधार पर न तो जीवित रहता है और न ही प्रगति करता है, बल्कि उसकी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक मूल्यों से उसका अस्तित्व और विकास तय होता है। उन्होंने तर्क दिया, “कुलों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो सब भाग जाते हैं।”

शंकराचार्य हाल के समय में भाजपा और आरएसएस नेताओं की आलोचना करते रहे हैं, विशेषकर जनवरी में प्रयागराज की घटना के बाद, जब जिला प्रशासन ने उनकी पालकी रोक दी थी और उन्हें संगम में स्नान के लिए पालकी से उतरकर, पैदल जाने

शंकराचार्य ने कहा, ज्यादा बच्चे हों, पर उन्हें संस्कारों व मूल्यों का पाठ ना पढ़ाया जाए तो समाज प्रगति नहीं करता।

ज्ञातव्य है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हिंदुओं के तीन बच्चे होने ही चाहिए।

को कहा था। पिछले कुछ सप्ताहों में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर तीखे विचार व्यक्त किए हैं, जो प्रायः आरएसएस और भाजपा के प्रति आलोचनात्मक रहे हैं। इस बार उन्होंने भागवत द्वारा लखनऊ में इस सप्ताह की गई उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने नवविवाहित दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आा न किया था। भागवत ने कहा था कि विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना और

सामाजिक दायित्व निभाना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना उचित संस्कार दिए केवल अधिक बच्चे पैदा करने से समाज मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा, “माता-पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ बड़े हों, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिगर रह सकें। सौ तारे उतनी रोशनी नहीं देते, जितनी एक चाँद देता है।” शंकराचार्य ने आगे चेतावनी दी कि (हिंदू समाज के भीतर) आंतरिक संघर्ष

उसे कमजोर कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण के वंशजों का उदाहरण दिया, जो बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक कलह से नष्ट हुए थे। “जब संख्या एकता और मूल्यों के बिना बढ़ती है, तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं।”

दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी भागवत की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है और इसका राजनीतिकरण करने के बजाय, सभी समुदायों को इस पर जिम्मेदारी के साथ, विचार और चर्चा करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी संसाधनों पर दबाव डाल रही है और अनेक परिवार, जिनमें मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं, बढ़ते खर्च और शिक्षा की लागत के कारण कम बच्चे पैदा करने का निर्णय ले रहे हैं।

फिर से राजस्थान हाई कोर्ट को बम की धमकी

जयपुर, 20 फरवरी। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

ई-मेल पर भेजी धमकी में सीजेआई का दौरा रद्द करवाने और 12 बजे तक हाई कोर्ट खाली करने की चेतावनी दी गई थी और कहा था कि कोर्ट में आरडीएक्स लगाया गया है। पर, जाँच व तलाशी में कुछ भी नहीं मिला।

इस बार धमकी भरे मेल में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के दौरे को रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। मेल में लिखा था कि सीजेआई का दौरा कैसिल पर्याप्त संकेत था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रील के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित की नियुक्ति रद्द करने पर अंतरिम रोक

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 20 फरवरी। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित की नियुक्ति को रद्द किए जाने के एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा और संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश इस मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ता डॉ पुरुषोत्तम नारायण शर्मा की ओर से अदालत को कहा गया कि रील के प्रबंध निदेशक के चयन के लिए गठित बोर्ड में राज्य के मुख्य सचिव का होना आवश्यक है, क्योंकि रील में 49 प्रतिशत स्ट्रेक रीको का है और रीको राजस्थान सरकार की एक कंपनी है, यानी यह 49 प्रतिशत प्रतिशत भागीदारी राजस्थान सरकार की ही है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस संदर्भ में स्पष्ट गाइडलाइन भी है, जो यह कहती है कि किसी भी इकाई या कंपनी, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी हो, उसमें राज्य सरकार का पक्ष व हित देखने के लिए मुख्य सचिव पक्षकार होंगे और उनके पक्ष को सुने बगैर वरिष्ठ अप्सरों या अधिकारी, जैसे किसी

केन्द्र सरकार तथा दीक्षित की ओर से अदालत में कहा गया कि “रील में रीको मात्र 49 फीसदी की निवेशक है, उसका हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। रील के प्रबंध निदेशक की चयन प्रक्रिया में कभी भी राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार नहीं बनाया गया।”

सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा ने भी यह टिप्पणी की कि गाइडलाइन केवल एक दिशा सूचक की तरह कार्य करती है, परंतु वह एक नियम या कानून नहीं है।

कंपनी के अध्यक्ष अथवा एम डी, की नियुक्ति नहीं की जा सकती। वहीं अपीलार्थी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए के शर्मा और सुरुचि कासलीवाल की ओर से कहा गया कि उक्त मामले के संदर्भ में रीको को राज्य सरकार का पक्षकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि रीको एक सरकारी कंपनी अवश्य है और उसके कर्मचारियों, अधिकारियों व प्राइवेट पार्टी किसी संवैधानिक अधिकार की पालना करने हेतु दायर रिट याचिका के मामलों में रीको को सरकार की परिभाषा

में ले सकती है, क्योंकि अंततः ऐसे मामलों में राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को ही अदालत कानून की पालना करने के लिए आदेश दे सकती है, परंतु अन्य व्यवसायिक अनुबंधन के मामलों में रीको एक प्राइवेट कंपनी की भांति ही है, जिसको राज्य सरकार का विभाग नहीं माना जा सकता। इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल व वरिष्ठ अधिवक्ता भरत व्यास ने भी अदालत को यही तर्क (शेष अंतिम पृष्ठ पर)